

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: प 1(29)(2)रानिआ / लेखा / बजट / 2014-15 / 163

दिनांक: 05/01/2015

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर।

प्रेषित,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत),
(कलक्टर), राजस्थान।

विषय:- पंचायत आम चुनाव 2015 की वीडियो ग्राफी की व्यय सीमा निर्धारण
बाबत।

सन्दर्भ:- आयोग का पत्रांक प. 7 (3) (1) पंचा/रानिआ/13/9926 दिनांक
28.12.2014,

महोदय,

पंचायत आम चुनाव 2015 के दौरान आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने एवं राज्य में स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन हेतु वीडियो ग्राफी कराये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश आयोग के पत्रांक- प. 7 (3)(1) पंचा/रानिआ/13/9926 दिनांक 28.12.2014 में प्रदान किये हुए हैं। आगामी पंचायत आम चुनाव 2015 के लिये की जाने वाली वीडियो ग्राफी पर होने वाले अत्यधिक व्यय को दृष्टिगत रखते हुए निम्नानुसार व्यय सीमा निर्धारित की जाती है :-

वीडियो ग्राफी (नामांकन की तिथि से मतगणना तक)

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	वीडियो ग्राफर की सं.
1	चुनाव पर्यवेक्षक (चुनाव क्षेत्र में नियुक्ति के दौरान)	एक
2	जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)	एक
3	रिटर्निंग ऑफीसर	एक
4	जिला कंट्रोल रूम (यदि आवश्यकता हो)	अधिकतम तीन
5	अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों पर (कुल बूथों की संख्या का अधिकतम 20 प्रतिशत तक)	एक-एक वीडियोग्राफर प्रति मतदान दिवस

वीडियो ग्राफी के संबंध में यह भी निर्देशित किया जाता है कि, आदर्श आचार संहिता की पालना के बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए नामांकन की तिथि से मतदान दिवस, मतगणना दिवस तथा जिला प्रमुख/उपप्रमुख/प्रधान/उपप्रधान के चुनाव दिवस

पर महत्वपूर्ण घटनाओं की वीडियो ग्राफी जिला निर्वाचन अधिकारी आवश्यकतानुसार स्वविवेक से करवा सकेंगे। मतदान दिवस पर जिला निर्वाचन अधिकारी संवेदनशील/अति संवेदनशील बूथों की वीडियो ग्राफी (कुल बूथों की संख्या का अधिकतम 20 प्रतिशत तक) के लिए स्व-विवेक से अतिरिक्त संसाधनों का उपयोग कर सकेंगे।

आयोग द्वारा निर्धारित सीलिंग की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावे। विशेष परिस्थिति में अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता प्रतीत होने पर आयोग की पूर्व अनुमति आवश्यक रूप से प्राप्त की जावे।


(कोमल आगरी)
वित्तीय सलाहकार
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: प. 1(29)(2)रानिआ/लेखा/बजट/2014-15/164-173

दिनांक: 05/01/2015

प्रतिलिपि:—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सहायक, सचिव/उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर।
3. सहायक सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर।
4. पंचायत चुनाव शाखा/भण्डार शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर।
5. कम्प्यूटर शाखा/संस्थापन शाखा/लेखा (आन्तरिक जाँच) शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर।
6. गार्ड फाईल।


(पी.डी. वर्मा)
लेखाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर